राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित/ISO 9001 : 2008 certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

(An Autonomous Institution Under Deptt. Of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

फा.-90-2.59/2017/एनआईओएस/शैक्षिक/शिक्षा शिक्षा — अगस्त, 2018

अधिसूचना - 02/2018

विषय : डी.एल.एड. ऑन-लाइन कार्यक्रम के लिए धनराशि जारी करने के लिए।

एनआईओएस मुख्यालय ने पत्र सं. 84/2018 दिनांक 16 फरवरी, 2018 द्वारा डी.एल.एड. ऑन-लाइन परियोजना के लिए क्षेत्रीय केंद्रों को आगे संबंधित राज्यों के राज्य परियोजना निदेशकों/एससीईआरटी को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अध्ययन केंद्रों को डी.एल.एड. ऑन-लाइन परियोजना संबंधी विभिन्न गतिविधियां कराने के लिए आरंभ में रु. 500/- प्रति शिक्षण प्रशिक्षार्थी की गणना के आधार पर धनराशि जारी की थी। डी.एल.एड. ऑन-लाइन परियोजना के संबंध में धनराशि जारी करने के लिए निम्नलिखित भुगतान तिथियां अनुमोदित की गयी हैं :

1. डी.एल.एड. कार्यक्रम अक्तूबर, 2017 में आरंभ हुआ और मार्च माह, 2019 में पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार यह 09 माहों के दो सत्रों में विभाजित होगा। प्रथम सत्र अक्तूबर, 2017 से जून, 2018 तक की अवधि के लिए होगा तथा दूसरा सत्र जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए होगा।
2. संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से एसपीडी/एससीईआरटी/अध्ययन केंद्रों से अपेक्षित धनराशि तथा खर्च के विवरण/निपटान करते हुए प्रत्येक सत्र के लिए अलग भुगतान किया जाएगा।
3. प्रथम सत्र अर्थात् अक्तूबर 2017 से जून 2018 में एनआईओएस मुख्यालय से प्रति शिक्षक प्रशिक्षार्थी रु. 500/- की दर से आरंभिक भुगतान पहले ही जारी कर् दिया गया है।
4. सत्र-I का दूसरा भुगतान संबंधित क्षेत्रीय केंद्र द्वारा 9 माह में डी.एल.एड. कार्यक्रम में की गई सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा तथा एसपीडी/एससीईआरटी/अध्ययन केंद्र के लिए संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के क्षे.नि. खाते में पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है जिसका समायोजन डी.एल.एड. कार्यक्रम के लिए दूसरी किस्त जारी करते हुए किया जाए। दूसरी किस्त जारी करने के लिए क्षेत्रीय केंद्र नियमानुसार (संलग्नक-I) गणना पत्र तैयार करेगा।
5. सभी एसपीडी/एससीईआरटी को अध्ययन केंद्रों पर हुए व्यय का विवरण प्राप्त करना होगा जिसे संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को **अनुलग्नक-II पर दिए गए निर्धारित प्रोफॉर्मा** में अग्रेषित किया जाए। सभी एसपीडी/एससीईआरटी अध्ययन केंद्र द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में जमा किए गए वास्तविक व्यय के विवरण के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुलग्नक-III पर दिए गए प्रोफॉर्मा में जमा करेंगे। वे उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित अध्ययन केंद्र द्वारा जमा किए गए व्यय विवरणों (निर्धारित प्रोफॉर्मा का पहला पृष्ठ) का सार भी संलग्न करेंगे।

6. संबंधित राज्यों के राज्य परियोजना निदेशकों/एससीईआरटी से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात आगे का भुगतान जारी किया जाएगा। सभी परियोजना निदेशकों से अनुरोध है कि प्रथम सत्र की सभी गतिविधियां पूरी होने के 15 दिन के भीतर, अधिकतम 30 सितंबर, 2018 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करें।

7. डी.एल.एड. कार्यक्रम के दूसरे सत्र अर्थात् जुलाई, 2018 से मार्च 2019 की पहली किस्त डी.एल.एड. कार्यक्रम के प्रथम सत्र का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद रु. 500/- प्रति नामांकित शिक्षार्थी की दर से जारी की जाएगी।

8. डी.एल.एड. की दूसरी किस्त अर्थात् पहले सत्र के गणना पत्र की ही तरह अनुमानित व्यय का 80% और अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार जारी किया जाएगा। शेष भुगतान राज्य एसपीडी/एससीईआरटी से उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा विस्तृत व्यय विवरण प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि एनआईओएस मुख्यालय से अलग से जारी की जा रही है। सभी क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित अनुच्छेदों में वर्णित भुगतान के निर्धारित तिथियों का समय पर तथा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि

सी. धारूमन

(सी.धारूमन)
सचिव